रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 13—मई 19, 2017 (वैशाख 23, 1939)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 13—MAY 19, 2017 (VAISAKHA 23, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	535
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	433
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	591
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	3935
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	65
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	791
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	535
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	433
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	591
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3935
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	65
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	791
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 मार्च 2017

सं. 9-49/2001-यू.3(ए)पार्ट-1—जबकि 'कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (कीट)', भुवनेश्वर, ओडिशा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 16 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. एफ.9-49/2001-यू.3 के द्वारा, *पांच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यधीन*, सम-विश्वविद्यालय घोषित किया गया था।

2. और जबकि, इस मंत्रालय की दिनांक 16.02.2004 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, यूजीसी विशेषज्ञ समिति और एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2008 में इस संस्थान का दौरा किया था। एआईसीटीई की विशेषज्ञ समिति ने यह इंगित किया कि "कीट सम विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में पीएच.डी अर्हताप्राप्त संकाय की संख्या 50% से कम है" जिसे तीन महीनों के भीतर दूर करने की आवश्यकता है।

3. समिति की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2009 को आयोजित इसकी 461वीं बैठक में आयोग के समक्ष रखी गई थी जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया थाः

"*आयोग ने यूजीसी अध्यक्ष द्वारा गठित यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उनकी कीट, भुवनेश्वर, उड़ीसा को प्रदत्त सम विश्वविद्यालय दर्जे संबंधी सलाह पर विचार किया तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पांच वर्षों की समीक्षा के अध्यधीन कीट, भुवनेश्वर, उड़ीसा को सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने संबंधी सिफारिश करना स्वीकार कर लिया। इसके अलावा, आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि रिपोर्ट की एक प्रति सम विश्वविद्यालय को इस निदेश के साथ भेजी जाए कि वे कमियां दूर करें/सुझावों का अनुपालन करें और अनुपालन रिपोर्ट तीन माह के भीतर आयोग को भेजें।* "

4. अब, अतः, केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर केन्द्र सरकार एतदद्वारा इस मंत्रालय की दिनांक 16 फरवरी, 2004 अधिसूचना सं. एफ. 9-49/2001-यू3 के संदर्भ में 'कलिंगा ओद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (कीट)' भुवनेश्वर, ओडिशा को 16.02.2009 से 15.02.2014 तक अर्थात अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए सम विश्वविद्यालय के रूप में जारी रखने/विस्तारण करने का अनुमोदन करती है। सम विश्वविद्यालय दर्जे का इससे आगे विस्तारण तभी किया जाएगा जब एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष 2008 में इंगित की गई कमियों को दूर कर लिया जाएगा।

प्रवीण कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 7 अप्रैल 2017

सं. 9-1/2001-यू.3 ए—जबकि, केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यलाय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर, मोदी शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एमआईईआर), लक्ष्मणगढ़, राजस्थान को निम्नलिखित दो संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए अधिसूचना संख्या एफ.9-1/2001-यू.3 दिनांक 20.02.2004 के द्वारा

उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पांच वर्षों के बाद एक समीक्षा के अध्यधीन तत्काल प्रभाव से समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था :

i मोदी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज

ii मोदी प्रबंधन अध्ययन कॉलेज

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने संस्था के अनुरोध पर और साथ ही यूजीसी के परामर्श पर इस शर्त के अध्यधीन कि समवत विश्वविद्यालय बनने जा रहे दोनों कॉलेजों अर्थात मोदी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज और मोदी प्रबंधन अध्ययन कॉलेज की कायिक निधि सहित सभी परिसंपत्तियों को नई संस्था अर्थात मोदी प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (एमआईटीएस), लक्ष्मणगढ़, राजस्थान को अंतरित कर दी जाएंगी, अपनी दिनांक 18.05.2004 की अधिसूचना के माध्यम से 'मोदी शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एमआईईआर)' लक्ष्मणगढ़ का नाम बदलकर 'मोदी प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान' कर दिया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, क्योंकि एमआईटीएस सहित 'ग' श्रेणी के संस्थानों से संबंधित मामला डब्ल्यू पी (सी) संख्या 2006 का 142, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित था, एमआईटीएस ने मंत्रालय से समवत विश्वविद्यालय का दर्जा अधित्याग हेतु अनुरोध किया था। अत: संस्थान से कहा गया था कि वे अपना समवत विश्वविद्यालय का दर्जा अभ्यर्पित करने हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करें।

4. और जबकि, एमआईटीएस ने समवत् विश्वविद्यालय का दर्जा अभ्यर्पित करने और समवत् विश्वविद्यालय 'मोदी प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान' के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे वर्तमान मौजूदा विद्यार्थियों को 'मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' (मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) अधिनिमय, 2013 के अंतर्गत स्थापित एक राज्य निजी विश्वविद्यालय) में अंतरित करने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति देने की प्रार्थना करते हुए सीडब्ल्यूपी संख्या 2006 का 142 में संवादात्मक आवेदन संख्या 2013 का 73 दायर की थी । माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 27/11/2013 के आदेश के माध्यम से आवेदन को अनुमति दे दी थी।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, राजस्थान की राज्य सरकार ने अपनी दिनांक 16 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या एफ.2(34) विधि/2/2013 के माध्यम से इस संस्थान को राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया था। तदुपरांत, एमआईटीएस ने मंत्रालय से सम विश्वविद्यालय का दर्जा हटाने पर विचार करने और मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़, सीकर का नाम राज्य निजी विश्वविद्यालय की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था। एमआईटीएस के अनुरोध पर विद्यमान यूजीसी (समवत् विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 समय-समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत विचार किया गया। विनियम का खंड 22.4 के अनुसार "यदि कोई समविश्वविद्यालय संस्था स्वयं को अथवा अपने घटकों को 'सम विश्वविद्यालय संस्था' के दर्जे से हटना चाहता है तो वह केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है। उन्हें हटाया जाना उस तारीख से लागू होगा जब नामांकित छात्रों का अंतिम बैच समविश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो जाए।"

6. और जबकि, चूंकि एमआईटीएस ने स्वयं को समविश्वविद्यालय से राज्य निजी विश्वविद्यालय में रूपांतरित होने से पूर्व केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी, दाखिल छात्रों और उनके संकाय कर्मचारियों/गैर संकाय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी से निश्चित स्पष्टीकरण मांगे गये थे। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने मंत्रालय द्वारा पूछे गये प्रत्येक बिन्दुओं पर समविश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया को अग्रेषित किया था, जो कि संतोषजनक है।

7. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर घोषणा करती है कि एमआईटीएस लक्ष्मणगढ़, राजस्थान को समवत विश्वविद्यालय घोषित करने वाली दिनांक 20.02.2004 और दिनांक 18.05.2004 की अधिसूचना को दाखिल विद्यार्थियों के अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने पर प्रत्याहरित हुआ माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, एमआईटीएस द्वारा नामांकित छात्रों के अंतिम बैच के हितों को सुरक्षा प्रदान करना; अभिलेखों/उत्तीर्ण हो चुके छात्रों की सामग्रियों का संरक्षण करना; एमआईटीएस संस्थान से संबंधित आधिकारिक पत्र व्यवहारों/शिकायतों को प्राप्त करना/स्वीकृत प्रदान करना; और एमआईटीएस से संबंधित संकाय कर्मचारियों और गैर-संकाय कर्मचारियों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना यह केवल एमआईटीएस के प्रायोजकों का उत्तरदायित्व होगा।

प्रवीण कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 31st March 2017

No. F.9-49/2001-U3(A)Pt.1—Whereas, 'Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT)', Bhubaneswar, Odisha was declared as deemed to be university under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's Notification No. F.9-49/2001-U.3 dated the 16th February, 2004 subject to a *review after five years*.

2. And whereas, as per the provisions of the Ministry's Notification dated 16.02.2004, UGC Expert Committee & AICTE Expert Committee visited the Institute in the year 2008 to review the functioning of the Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha. The Expert Committee of AICTE pointed out that "the number of faculty with Ph.D qualifications in KIIT Deemed to be University, Bhubaneswar is less than 50%" which needed to be rectified by the Institute within a period of three months.

3. The reports of the Committees were placed before the Commission in its 461st meeting held on 04.08.2009 in which following Resolution was passed:

"The Commission considered and approved the report of the UGC Expert Committee constituted by the Chairman, UGC, AICTE Expert Committee and its advice on the review of the Deemed to be University status conferred on KIIT, Bhubaneswar, Orissa and to recommend to the Ministry of Human Resource Development for continuation of Deemed to be University status to the KIIT, Bhubaneswar, Orissa subject to review after five years. The Commission further decided that a copy of the Report may be sent to Deemed to be University with a direction to comply with deficiencies / suggestions and send a compliance Report to the Commission within a period of three months".

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby accord approval to continuation/extension of Deemed to be University status to 'Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT)' Bhubaneswar, Odisha for another period of five years i.e. from 16.02.2009 to 15.02.2014 in terms of this Ministry's Notification No. F.9-49/2001-U.3 dated the 16th February, 2004. Further extension of Deemed to be University status shall be done only after rectification of deficiencies as pointed out by the AICTE Expert Committee in the year 2008.

PRAVEEN KUMAR
Joint Secretary

The 7th April 2017

No. F.9-1/2001-U.3—Whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act 1956, the Central Government vide Notification No.9-1/2001-U.3 dated 20.02.2004, on the advice of the UGC, had declared the Mody Institute of Education & Research (MIER), Lakshmangarh, Rajasthan consisting of following two Institutions as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to a review after five years:

i. Mody College of Engineering & Technology; and

ii. Mody College of Management Studies.

2. And whereas, the Central Government vide its Notification dated 18.05.2004, on the request of the Institute and also on the advice of UGC changed the name of 'Mody Institute of Education and Research (MIER)' Lakshmangarh to 'Mody Institute of Technology & Science (MITS)', Lakshmangarh, Rajasthan subject to condition that all the assets including the corpus fund of the two colleges forming the Deemed University namely Mody College of Engineering & Technology and Mody College of Management Studies will be transferred to the new Society i.e. Mody Institute of Technology & Science Society, Lakshmangarh, Rajasthan.

3. And further whereas, MITS requested the Ministry for relinquishment of Deemed to be University status while the matter relating to Category 'C' Institutions including MITS was pending in the Hon'ble Supreme Court in WP(C) No.142 of 2006. Therefore, the Institute was asked to seek permission from Hon'ble Court for surrendering its Deemed to be University status.

4. And whereas, MITS moved an Interlocutory Application No.73 of 2013 in CWP No.142 of 2006 praying the Hon'ble Supreme Court to *allow the surrender of the deemed to be university status and the transfer of the present current students pursuing their courses at the deemed to be university 'Mody Institute of Technology & Science' to the 'Mody University of Science and Technology' [a State Private University established under the Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh (Sikar) Act, 2013].* The Hon'ble Court vide its Order dated 27/11/2013 allowed the application.

5. And further whereas, State Government of Rajasthan vide Notification No.F.2(34) Vidhi/2/2013 dated 16th September, 2013 declared the Institute as State Private University. Thereafter, MITS requested the Ministry to consider

withdrawal of Deemed to be University status and to include the name of Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, Sikar in the list of State Private University. The request of MITS was considered as per the existing UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 as amended from time to time. Clause 22.4 of the Regulations says *"If an institution deemed to be university wishes to withdraw itself or its constituents from the status of 'institution deemed to be university', it may do so with the prior permission of the Central Government. Such withdrawal shall take effect only after the last batch of students then enrolled, passes out of the institution deemed to be university"*.

6. And whereas, since MITS had not obtained prior approval of the Central Government before converting itself from Deemed to be University to State Private University, certain clarifications were sought from UGC keeping in view the interest of admitted students and that of faculty staff/non-faculty staff. Further, UGC forwarded the response of Deemed to be University w.r.t. each of the points raised by the Ministry, which is satisfactory.

7. Now, therefore, in exercise of the power conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby declares that the Notification 9-1/2001-U.3 dated 20.02.2004 and 18.05.2004 declaring MITS, Lakshmangarh, Rajasthan as Deemed to be University shall be treated as withdrawn with effect from passing out of the last batch of admitted students. Further, it would be sole responsibility of the promoter of MITS Institution to safeguard the interest of the last batch of students enrolled by them; to preserve the records/materials of already passed out students; to receive/acknowledge the official communications/grievances related to MITS Institution and also to secure the interest of faculty staff and non-faculty staff who are associated with MITS.

PRAVEEN KUMAR
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.05.13 17:14:37 +05'30'